भारत में तंबाकू पर कर

रीजो एम जॉन, आर. कविता राव, एम. गोविंद राव, जेम्स मूर, आर. एस. देशपांडे, झूमुर सेनगुप्ता, शक्तिवेल सेल्वाराज, फ्रैंक जे. चालूप्का और प्रभात झा कृत इकोनॉमिक्स ऑफ़ टोबैको एंड टोबैको टैक्सेशन पर आधारित।

भारत में धूम्रपान की ऊँची दर के कारण चिंताजनक स्तर पर स्वास्थ्य और आर्थिक हानि होती है। भारत में तंबाकू के प्रयोग को कम करने के सबसे कारगर उपायों में से एक है उत्पाद कर (एक्साइज़ टैक्स) बढ़ाकर तंबाकू उत्पादों के दाम में बढ़ोत्तरी करना।

भारत में तंबाकू का प्रयोग

- करीब १२ करोड़ भारतीय धूम्रपान करते हैं, और दुनिया के १०% धूम्रपान करने वाले लोग भारत में रहते हैं। चीन के बाद धूम्रपान करने वाले लोगों का दूसरा सबसे बड़ा समूह भारत में है।
- करीब एक तिहाई भारतीय—५७% पुरुष और ११% महिलाएं—किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं और बहुत से लोग एक से अधिक प्रकार के तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करते हैं।
- बीड़ी भारत में अधिकतम प्रयोग किया जाने वाला तंबाकू उत्पाद है। भारत में धूम्रपान किए जाने वाले कुल तंबाकू में लगभग ८५% बीड़ी होती है।

भारत में पुरुषों और महिलाओं (उम्र १५-४९) के बीच तंबाकू के सेवन की आदत, २००५-२००६

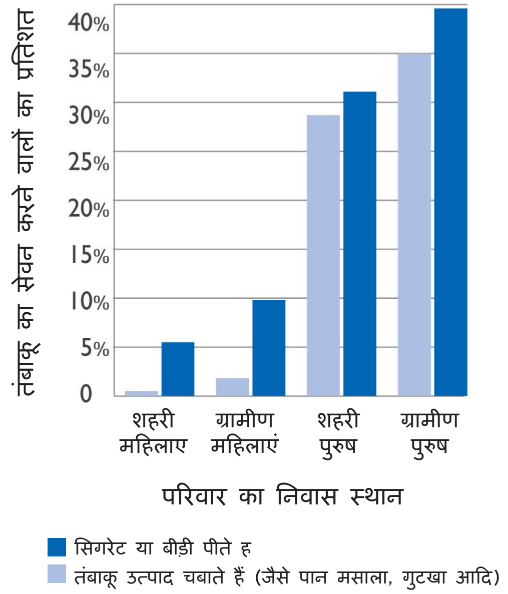

डेटा का स्रोत: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पापुलेशन (आईआईपीएस) और मैक्रो इंटरनेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-३), २००५-०६। मुख्य निष्कर्ष रिपोर्ट। मुंबई: आईआईपीएस और मैक्रो इंटरनेशनल; २००७।

भारत में तंबाकू के प्रयोग का असर

धूम्रपान की ऊँची दर अच्छी-खासी संख्या में कम उम्र में मौतों और स्वास्थ्यचर्या पर भारी खर्चों का कारण है।

- हर साल, धूम्रपान के कारण १० लाख से ज़्यादा भारतीयों की मौत होती है।
- किसी हस्तक्षेप के बिना, आज जीवित ३.८ करोड़ बीड़ी पीने वालों और १.३ करोड़ सिगरेट पीने वालों की तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के कारण मृत्यु होगी।
- बीड़ी और सिगरेट पीने वाले लोग धूम्रपान न करने वाले अपने हमउम्रों के मुकाबले ६ से १० वर्ष पहले मर जाते हैं।
- तंबाकू-संबंधी बीमारियों के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे बहुत अधिक हैं। २००२-२००३ में तंबाकू-संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए सार्वजनिक और निजी कोषों से करीब रु. ३०० अरब (६.६ अरब डॉलर) खर्च किए गए। इसमें उपचार एवं असामयिक मृत्यु से उत्पन्न अप्रत्यक्ष कीमत सम्मिलित हैं।

भारत में तंबाकू पर कर बहुत कम हैं

- भारत में बीड़ी बहुत सस्ती है—बीड़ी के औसत पैकेट की कीमत केवल रु. ४ है। बीड़ी पर कर बहुत कम हैं, ये औसतन खुदरा मूल्य के केवल ९% हैं।
- सिगरेट पर कर खुदरा मूल्य के लगभग ३८% होते हैं। यह विश्व बैंक द्वारा अनुशंसित दर (खुदरा मूल्य के ६५% से ८०%) से काफी कम है जो कारगर तंबाकू नियंत्रण नीतियों वाले देशों में आम तौर पर लागू है।
- भारत में कर जटिल हैं और हर तंबाकू उत्पाद के लिए अलग-अलग हैं। सिगरेट पर कर उनकी लंबाई पर आधारित हैं; और हाथ तथा मशीन से बनाई गई बीड़ियों पर विभेदी करों के कारण बहुत सस्ते तंबाकू उत्पादों का एक बड़ा बाज़ार है।
- भारत में तंबाकू पर करों को नियमित रूप से मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित नहीं किया जाता, और समय के साथ तंबाकू उत्पाद अधिकाधिक सस्ते होते जा रहे हैं।

भारत में तंबाकू उत्पादों का सस्तापन*

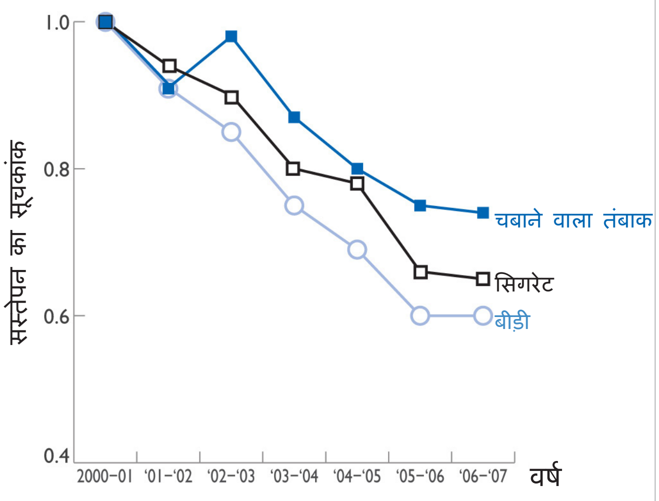

*सस्तेपन की गणना तंबाकू-संबंधी मूल्य सूचकांक और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात से की जाती है; सभी सूचकांक वर्ष २०००-०१ में १ पर सामान्यीकृत कर दिए गए हैं।.

भारत में तंबाकू पर कर

अधिक करों से तंबाकू के इस्तेमाल में कमी आती है

तंबाकू का प्रयोग कम करने का सबसे कारगर तरीका है टैक्स बढ़ाकर तंबाकू के दाम में बढ़ोत्तरी करना। ऊँचे दाम युवाओं को सिगरेट पीना शुरू करने से हतोत्साहित करते हैं और धूम्रपान कर रहे लोगों को अपनी आदत छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

भारत में दामों के घटने-बढ़ने के अध्ययनों से पता चलता है कि तंबाकू के दामों में १०% बढ़ोत्तरी से बीड़ी की खपत में १०% और सिगरेट की खपत में २.६%. कमी होने का अनुमान है।

कर बढ़ाने से जानें बचती हैं और सरकार की आमदनी बढ़ती है

अगर भारत बीड़ी पर कर की दर प्रति १००० बीड़ी पर रु. १४ से बढ़ाकर रु. ९८ कर दे (खुदरा मूल्य के ९% से ४०% तक) और सिगरेट पर दर प्रति १००० सिगरेट पर रु. ६५९ से बढ़ाकर रु. ३६९१ कर दे (खुदरा मूल्य के ३८% से ७८% तक), तो आज जीवित भारतीयों में से १.८९ करोड़ लोगों की जान बचाई जा सकेगी।

तंबाकू पर कर में बढ़ोत्तरी से सरकार को कर राजस्व के रूप में रु. १८३.२ अरब (३.९ अरब डॉलर) की अतिरिक्त आमदनी होगी।

तंबाकू पर टैक्स बढ़ाने का बीड़ी और सिगरेट पर असर

असर	बीड़ी (-०.९१ मांग-लोच) खुदरा मूल्य के ९% से ४०% तक	सिगरेट (-०.२६ मांग-लोच) खुदरा मूल्य के ३८% से ७८% तक
धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी (दस लाख में)	२३	४.७
बचाए गए जीवन (दस लाख में)	१५.५	३.४
तंबाकू टैक्स राजस्व से अतिरिकत आय	रु. ३६.९ अरब ०.८ अरब डॉलर	रु.१४६.३ अरब ३.१ अरब डॉलर

संस्तुतियां

१. बीड़ी पर कर में काफी बढ़ोत्तरी करना। बीड़ी पर कर प्रति १००० बीड़ी पर रु. १४ से बढ़ाकर रु. ९८ (खुदरा मूल्य के ९% से ४०% तक) कर देने से सरकार के राजस्व में रु. ३६.९ अरब (०.८ अरब डॉलर) की बढ़ोत्तरी होगी। दाम में बढ़ोत्तरी से बीड़ी पीने के कारण होने वाली १.५५ करोड़ तक अकाल मौतों को रोका जा सकेगा।

२. बीड़ी उत्पादन पर नियंत्रण की नीतियों को सख्त बनाना। छोटे उत्पादकों को रियायत समाप्त करना या उसे वाकई छोटी कंपनियों तक सीमित रखना, बिना ब्रांड वाली बीड़ियों की बिक्री पर रोक लगाना, और बीड़ी के तंबाकू की खरीद-बिक्री की रिपोर्टिंग अनिवार्य करने से कर अनुपालन में वृद्धि सुनिश्चित होगी।

३. सिगरेट पर कर में काफी बढ़ोत्तरी करना। सिगरेट पर कर में खुदरा मूल्य के ७८% की बढ़ोत्तरी कर देने से तंबाकू से संबंधित ३४ लाख अकाल मौतों को रोका जा सकेगा, और साथ ही सरकार को हर वर्ष रु. १४६.३ अरब (३.१ अरब डॉलर) का नया राजस्व भी मिलेगा।

४. तंबाकू पर कर को सरल करना, विस्तारित और मज़बूत करना। कर की मौजूदा प्रणाली जटिल है। विभिन्न उत्पादों में विभेदी कर कम करके कर प्रणाली को सरल बनाने से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि सभी तंबाकू उत्पाद नुकसानदेह हैं। मुद्रास्फीति के अनुसार तंबाकू पर करों के नियमित समायोजन से सभी तंबाकू उत्पादों के दाम सापेक्षिक रूप से ऊँचे रखना सुनिश्चित होगा।

५. तंबाकू नियंत्रण के अतिरिक्त प्रयासों को समर्थन देने के लिए राजस्व निर्धारित करने पर विचार करना। राजस्व के निर्धारित हिस्से का प्रयोग करके संपूर्ण तंबाकू नियंत्रण प्रयासों और अन्य सामाजिक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समर्थन दिया जा सकता है।

तंबाकू का सेवन कम करने के लिए ब्लूमबर्ग पहल के अंग के तौर पर ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित, तंबाकू के अर्थशास्त्र पर रिपोर्टों की श्रृंखला का भाग।